न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा आर.ए.एस.

(11)

राजस्व अपील संख्या : 21/2016 व 22/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. श्रीमती यशोदा पुत्री स्व.नारायणसिंह धर्मपत्नि स्व.श्री घनश्याम, जाति–गहलोत माली निवासी–आमली बेरा, मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर		1. जब्बरसिंह पुत्र स्व.श्री नारायणसिंह जाति–परिहार माली निवासी–नारायणजी का बेरा नारायण विहार भदवासिया,जोधपुर वगैरह

आदेश

दिनांकः 29.11.2022

अपीलान्ट श्रीमती यशोदा पुत्री स्व.नारायणसिंह पत्नि स्व.श्री घनश्याम जाति गहलोत माली निवासी आमली बेरा मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टस जब्बरसिंह पुत्र स्व.श्री नारायणसिंह जाति परिहार माली निवासी नारायणजी का बेरा नारायण विहार भदवासिया जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 07.02.1975 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 32 व दिनांक 09.07.2005 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 861 ग्राम भदवासिया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए लिखित/मौखिक बहस प्रस्तुत की जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी के पिता स्व.श्री नारायणसिंह एवं माता श्रीमती माडी देवी की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 07.02.1975 व 861 दिनांक 09.07.2005 मृतक खातेदार नारायणसिंह व श्रीमती माडीदेवी के विधिक वारिसान की जांच किये बिना तथा अपीलार्थीनी को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना गैरकानूनी गलत तरीके से मृतक के लड़कों के नाम दर्ज किये है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीनी ने जानकारी से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की है तथा गैरकानूनी शून्य आदेशों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की म्याद लागू नहीं होती है। जब विरासत का नामान्तरकरण गैरकानूनी शून्य है तब उसके आधार पर पश्चातवर्ती बेचान के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर (द्वि...

भी गैरकानूनी व शून्य है जो भी निरस्त योग्य है। अपीलार्थीनी मृतक खातेदार नारायणसिंह एवं श्रीमती माडी देवी की पुत्री है तथा उसकी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है जिसको उसके पिता व माता की भूमि पर उतराधिकारी का कानूनी अधिकार प्राप्त होने से वह अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने की अधिकारिणी है तथा अपीलार्थीनी की यह अपील प्रश्नगत भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के साथ शामलात में अपना नाम नामान्तरकरण में दर्ज करवाने की है जिसमें किसी प्रकार की कोई म्याद नहीं है। अतः अपीलार्थीनी के धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार, श्री बी.एस.सोलंकी एव श्री राजाराम चौधरी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम लिखित/मौखिक वहस प्रस्तुत की जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी द्वारा उक्त अपील 39 वर्षो वाद न्यायालय में पेश की गयी है जिसमें मियाद को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 12.12.2008 को खेत पर जाने पर उक्त खेत पर निर्माण कार्य होने की जानकारी हुई की वात कही जबकि अपीलार्थीनी उसी क्षेत्र में निवास करती है। अपीलार्थीनी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 07.02.1975 व नामान्तरकरण संख्या 861 दिनांक 09.07.2005 की पूर्ण जानकारी थी। अपीलार्थीनी ने अपने म्याद प्रार्थना पत्र में लिखा कि उसने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अपने हिस्से की घोषणा, वंटवाड़ा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दिनांक 23.12.2008 को दावा तैयार कर सवंधित विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर में प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त वाद के निर्णय से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीनी का हक व हिस्सा है या नहीं? मालिकाना हक हिस्से के विवाद के विन्दू का निस्तारण नामान्तरकरण जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में तय नहीं हो सकता है इसलिए अपील पूर्णतः मियाद वाहर होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अतः अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी। म्याद प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलार्थीनी के पिता स्व.श्री नारायण पुत्र श्री लालू की खातेदारी की भूमि ग्राम भदवासिया में खसरा नम्बर [illegible] रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 90 रकबा 80 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 100 बीघा 06 बिस्वा आई हुई है। स्व.श्री नारायण का देहान्त दिनांक 10.09.1968 को हो गया। स्व.श्री नारायण के देहान्त के समय उनकी पत्नि श्रीमती माडी मौजूद थी जिनका भी दिनांक 02.7.1994 को देहान्त हो गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपने म्याद प्रार्थना पत्र में वताया कि अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण की अपीलार्थीनी की गैर हाजरी में बिना सुनवाई व नोटिस दिये पारित किया गया है। पिता के देहान्त के पश्चात् अपीलार्थीनी को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण में विरासत में नाम दर्ज करवाने व व माता के देहान्त के पश्चात् नामान्तरकरण में सामलात में नाम दर्ज करवाने का कहा किन्तु इसके बाद जानकारी हुई कि उसके भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 उक्त जमीन को बेच रहे है तब अपीलार्थीनी दिनांक 12.12.2008 को खेत पर गयी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मकान का निर्माण कर रहे थे तब अपीलार्थीनी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध हिस्से की घोषणा व बंटवाड़े के लिये दिनांक 23.12.2008 को दावा तैयार कर प्रस्तुत कर दिया।

अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 23.12.2008 को न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर में दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् वर्ष 2014 में अपील इस न्यायालय में पेश की गई है, जबकि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र से ही स्पष्ट है कि दावा पेश करने की दिनांक से ही अपीलार्थीनी को उक्त संदर्भ में जानकारी हो गई थी। अपीलार्थीनी द्वारा अपील इस न्यायालय में 06 वर्ष पश्चात पेश करने का कोई उचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। चूंकि न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर में इसी विषय पर वाद विचाराधीन है तथा अपील एक समरी प्रोसीडिंग है इसलिए कार्यवाही की बहुलता एवं जटिलताओं को रोकने के बिन्दू पर भी अपील चलने योग्य नही है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम अस्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested